12.09.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण के प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र नोटप्रेस के आधार पर खारिज किया जावे। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र नोटप्रेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया (सुनील कुमार चौहान) RAS	शंकर लाल L.T.I. प्रेमकुमार भगवानकुमार